

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 10 मई, 2010

सं. फा. 10 (1201)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/902.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीएलबी कोमोडिटीज प्रा.लि., 4764/23ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 39,00,0000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 600001 से 4500000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 39,000 (रूपए उनतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY
ORDERS

Delhi, the 10th May, 2010

F. No. 10(1201)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/902.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BLB Commodities Private Limited, 4764/23A, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 39,000 (Thirty Nine Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 39000000 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 600001 to 4500000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 11 मई, 2010

सं. फा. 10 (1210)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/924.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीएनबी कोर्टिस इंडिया लि., डी-14/2, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपये 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 90,001 से 1,30,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपये 40,000 (रूपये चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 11th May, 2010

F. No. 10(1210)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/924.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BNB Coatings India Limited, D-14/2 Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 40,000 (Rs. Forty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,00,000 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 90,001 to 1,30,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1223)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/925.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हिल्सछर इंडिया प्रा.लि., 504, पांचवीं मंजिल, इलजेन्स बिल्डिंग, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,27,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,30,001 से 14,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 12,700 (रूपए बारह हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1223)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/925.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hilscher India Private Limited, 504, 5th floor, Elegance Building, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,700 (Twelve Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,27,00,000 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 1,30,001 to 14,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1158)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./08/926.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडूसिया फूड एण्ड बेवरेजिस इन्टरनेशनल प्रा.लि., सी-148, ग्राउंड फ्लोर, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,07,53,340 मूल्य के इक्विटी शेयरों

जिनकी पृथक संख्या 1184040 से 3259373 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 20,754 (बीस हजार सात सौ चब्बन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1158)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/926.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Inducia Food & Beverages International Private Limited, C-148, GF, Okhla, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,754/- (Twenty Thousand Seven Hundred Fifty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,07,53,340/- Equity Share Certificates with distinctive Nos. 1184040 to 3259373 to be issued by the said company.

आदेश

दिल्ली, 12 मई, 2010

सं. फा. 10 (1188)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/943.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विसडोम मिडिया सर्विसेज प्रा. लि., 99, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 010001 से 020000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDER

Delhi, the, 12th May, 2010

F. No. 10(1188)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/943.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wisdom Media Services Private Limited, 99, National Park, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 010001 to 020000 to be issued by the said company.

आदेश

दिल्ली, 13 मई, 2010

सं. फा. 10 (1182)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/978.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि., यूनिट नं. 103ए, राईट विंग, तीसरी मंजिल, दी कैपिटल कोर्ट, प्लाट नं. एमएस-1 एलएससी, मुनिरका, फेस-III, नई दिल्ली-110067, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 12,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 22,25,00,001 से 23,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDER

Delhi, the, 13th May, 2010

F. No. 10(1182)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/978.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rio Tinto Exploration India Private Limited, Unit No. 103A, Right Wing, 3rd Floor, The Capital Court, Plot No. MS1 at Local Shopping Centre, Munirka, Phase-III, New Delhi-110067 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,25,000 (Rs. One Lac Twenty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,50,00,000 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 22,25,00,001 to 23,50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1200)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/979.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री राणा आर्किटेक्चरल सोल्यूशन्स प्रा. लि., 802, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, विपरीत डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1312500/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 126101 से 257350 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1313/- (रुपये एक हजार तीन सौ तेरह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1200)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/979.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rana Architectural Solutions Private Limited, 802, Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, Opp. Defence Colony, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1313 (One Thousand Three Hundred Thirteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,12,500 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 126101 to 257350 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1225)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/980.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि., दूसरी एवं तीसरी मंजिल, ए-विंग, स्टेटसमेन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,02,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,48,09,751 से 6,52,09,750 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 20,20,000 (रुपये बीस लाख बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1225)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/980.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pearls Infrastructure Projects Limited, 2nd & 3rd floor A-Wing, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,20,000 (Rs. Twenty Lac Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,02,00,00,000 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 2,48,09,751 to 6,52,09,750 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1187)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/981.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कामरूप टूरिजम प्रा. लि., एल-1/7, हौज खास इन्कलेव, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 11,85,61,400/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या

10,001 से 42,17,228 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 1,18,562 (रुपये एक लाख अठ्ठाह हजार पांच सौ बासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1187)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/981.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kamrup Tourism Private Limited, L-1/7, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,18,562 (Rs. One Lac Eighteen Thousand Five Hundred Sixty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,85,61,400 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 42,17,228 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1185)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/982.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रिसेवेबल मैनेजमेंट सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., ए-1/292, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,20,83,973 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 12,399 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 22,084 (रुपये बाईस हजार चौरासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1185)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/982.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Receivable Management Services India Private Limited, A-1/292, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 22,084 (Rs. Twenty Two Thousand Eighty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,20,83,973 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 12399 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1206)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/985.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी

सं. फा. 10 (1208)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/989.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अरटीरियर्स इंडिया प्रा. लि., ए-1/292, जनकपुरी नई दिल्ली-110 058, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 4339100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 4339100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 4,391 (रुपये चार हजार तीन सौ इक्यानबे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1208)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/989.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Xylos Arteriors India Private Limited, A-1/292, Janak Puri, New Delhi-110 058 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4391 (Rs. Four Thousand Three Hundred Ninety One) only on the aggregate value of shares of Rs. 43,91,000 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 0,001 to 4,39,100 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1221)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/990.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीडीजी एक्सपर्ट इंडिया प्रा.लि., बी-8/सी, सांवल नगर, सादिक नगर के सामने, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 4,56,930 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 167987 से 213679 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 457 (रुपये चार सौ सत्तान) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1221)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/990.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of

India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GDD Experts India Private Limited, B-8/C, Sanwal Nagar, Opp. Sadiq Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 457 (Rs. Four Hundred Fifty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,56,930 for Equity Share Certificates with distinctive Nos. 167987 to 213679 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1199)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/991.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गुथी-रेनकर मार्केटिंग प्रा.लि., ई-20, पहली और दूसरी मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली-110 016, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 11,54,03,480 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10296276 से 21836623 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,15,404 (रुपये एक लाख पन्द्रह हजार चार सौ चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1199)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/991.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Guthy-Ranker Marketing Private Limited, E-20, 1st & 2nd Floor, Hauz Khas, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,15,404 (One Lac Fifteen Thousand Four Hundred Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,54,03,480 Equity Share Certificates with distinctive Nos. 10296276 to 21836623 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)